आदेश व इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या 160/2024(धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

पेगासूस असेट रिकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि., पंजीकृत कार्यालय– 507, डालमल हाऊस, नरीमन पाइंट, मुम्बई।

प्रार्थीवित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री लक्ष्मण मीना पुत्र श्री हरलाल मीना,
2. श्रीमती उर्मिला देवी मीना पत्नी श्री लक्ष्मण मीना,

प्लॉट नं. बी–234, रोड़ नं. 9, सीकर रोड़, वीकेआई इण्डस्टियल एरिया, जयपुर,

प्लॉट नं. 227, श्री कदम विहार, लक्ष्मी नगर गृह निर्माण सहकारी समिति, खोराबीसल, बेनाड़ रोड़, जयपुर एवं प्लॉट नं. 227, योजना श्री कदम विहार, सरना, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खोरा बिसल, बेनाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणीएवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002.

उपस्थितः–इरफान खान, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश दिनांक 29.08.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 25.06.2023 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती उर्मिला देवी मीना के स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. 227, योजना श्री कदम विहार, नियर सरना, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खोरा बिसल, बेनाड़ रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज को बन्धक रख कर कुल 20,00,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 21.02.2024 को रजिस्टर्ड़ नोटिस जारी किए गए। जना स्मॉल फाईनेन्स बैंक ने अप्रार्थी ऋणी का खाता जरिये असाईनमेन्ट एग्रीमेन्ट दिनांकित 28.03.2024 से प्रार्थी वित्तीय संस्था को स्थानान्तरित कर दिया गया था। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने **The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002**की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्ती संस्थान ने अप्रार्थीगणों को 20,00,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 20,71,075/–रूपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 21.02.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नही दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नही किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियमि की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

अतः **The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002** की धारा 14 में प्रदत्त शाक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती उर्मिला देवी मीना के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति प्लॉट नं. 227, योजना श्री कदम विहार, नियर सरना, रीको इण्डस्ट्रियल एरिया, खोरा बिसल, बेनाड़ रोड़, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 100 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner